Amire Ahle Sunnat Se Qazaa Namazon Ke
Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 293
Weekly Booklet : 293

अमीरे अहले सुन्नत से
क़ज़ा नमाज़ों
के बारे में सुवाल जवाब

सफ़हात 18

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : **अमीरे अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाज़ों के बारे में सुवाल जवाब**

सिने त़बाअ़त : रमज़ानुल मुबारक **1444** हि., मार्च **2023** ई.
ता'दाद : 000
नाशिर : **मक्तबतुल मदीना**

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**अमीरे अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाज़ों के बारे में सुवाल जवाब**"

मजलिसे **अल मदीनतुल इल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए मक्तूब, Email या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद -1, गुजरात।

MO. 9898732611 • Email : hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)। (تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ फ़रमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है

अमीरे अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाज़ों के बारे में सुवाल जवाब

दुआए जा नशीने अमीरे अहले सुन्नत : **या अल्लाह** पाक ! जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला : **''अमीरे अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाज़ों के बारे में सुवाल जवाब''** पढ़ या सुन ले, मरते दम तक उस की कोई नमाज़ क़ज़ा न हो और उस की बे हिसाब मग़्फ़िरत फ़रमा। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

अल्लाह पाक के आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने नमाज़ के बा'द हम्दो सना और दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाले से फ़रमाया : ''दुआ मांग क़बूल की जाएगी, सुवाल कर, दिया जाएगा।'' (نسائی، ص220، حدیث:1281)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

सुवाल : बे नमाज़ियों के लिये क्या क्या वईदें हैं ? इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब : बे नमाज़ी की सब से बड़ी बद नसीबी येह है कि वोह **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का ना फ़रमान है। **अल्लाह** पाक ने क़ुरआने करीम में जगह जगह नमाज़ का हुक्म फ़रमाया है, लेकिन येह इस हुक्म को अ़मली जामा नहीं पहना रहा। इसी त़रह़ प्यारे आक़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने भी बे शुमार मवाक़ेअ़ पर नमाज़ का हुक्म दिया है,

लेकिन येह इस हुक्म को अ़मली तौ़र पर नहीं अपना रहा, तो येह इस की बद बख़्ती और बद नसीबी है। जो जान बूझ कर एक नमाज़ तर्क करेगा तो उस के लिये जहन्नम का मख़्सूस दरवाज़ा है, जिस से वोह जहन्नम में दाख़िल किया जाएगा। (حلیۃ الاولیاء، 7/299، حدیث:10590)

आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : जो नमाज़ क़ज़ा करता है तो वोह हज़ारों साल जहन्नम के अ़ज़ाब का ह़क़दार है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/158) बहर ह़ाल मुसल्मान को हर ह़ाल में नमाज़ क़ाइम रखनी चाहिये, बे नमाज़ी इन्सान किस काम का ? बच्चों बल्कि घर के तमाम अफ़राद को नमाज़ की तल्क़ीन करते रहना चाहिये। अगर वोह नहीं भी पढ़ते जब भी हमें बोलने (या'नी नेकी की दा'वत देने) का सवाब तो मिलेगा। नीज़ बार बार बोलने और समझाने से اِنْ شَآءَاللّٰه नमाज़ की तौफ़ीक़ भी मिल ही जाएगी।

हम पहले ब्लेक बोर्ड और नुमायां जगहों पर लिखा हुवा देखते थे कि "नमाज़ क़ाइम करो" येह देख देख कर नमाज़ पढ़ने का ज़ेह्न बनता कि नमाज़ बहुत अहम है, इसे तर्क नहीं करना चाहिये और ह़क़ीक़त भी येही है कि नमाज़ बहुत अहम है। लिहाज़ा अब भी अगर हम बात बात पर नमाज़ का तज़्किरा करते रहें तो सुनने वालों को तरग़ीब मिलती रहेगी, यूं वोह नमाज़ी बनेंगे और اِنْ شَآءَاللّٰه मसाजिद भी आबाद होंगी।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/242)

सुवाल : क्या क़ज़ाए उ़म्री ज़रूरी है ?

जवाब : क़ज़ाए उ़म्री फ़र्ज़ है। जिस की नमाज़ें क़ज़ा हो गईं, उस की तौबा की सूरत येही है कि वोह तौबा करने के साथ साथ तलाफ़ी भी करे या'नी जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वोह सब की सब अदा भी करे।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/273)

सुवाल : क़ज़ाए उ़म्री किन नमाज़ों की होती है ?

जवाब : क़ज़ाए उ़म्री सिर्फ़ फ़र्ज़ और वित्र की होती है, तो यूं एक दिन की 20 रक्अ़तें बनती हैं, दो फ़र्ज़ नमाज़े फ़ज्र के, चार फ़र्ज़ नमाज़े ज़ोह्र के, चार फ़र्ज़ नमाज़े अ़स्र के, तीन फ़र्ज़ नमाज़े मग़रिब के, चार फ़र्ज़ नमाज़े इ़शा के और तीन वित्र। (मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 125) सुन्नतों और नवाफ़िल की क़ज़ा नहीं होती। (जन्नती ज़ेवर, स. 274, फ़तावा रज़विय्या, 8/146-148 माख़ूज़न)

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/274)

सुवाल : क़ज़ा नमाज़ दिन में किन अवक़ात में पढ़ सकते हैं ?

जवाब : तीन अवक़ात मक्रूह हैं (सूरज तुलूअ़ होने के बा'द 20 मिनट तक, ज़ह्वए कुब्रा के वक़्त, ग़ुरूबे आफ़्ताब से पहले के आख़िरी 20 मिनट) इन के इ़लावा जब चाहें क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं।

(فتاویٰ ہندیہ، 1/52) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/331)

सुवाल : क्या क़ज़ा नमाज़ें घर में पढ़ सकते हैं ?

जवाब : क़ज़ा नमाज़ें घर में ही पढ़नी चाहिएं। मस्जिद में सब के सामने इस त़रह़ पढ़ना कि लोगों को पता चल जाए कि येह क़ज़ा पढ़ रहा है तो ऐसा करना जाइज़ नहीं है। (در مختار، 2/650 ماخوذا) अलबत्ता एक ही नमाज़ सब की क़ज़ा हो गई तो उसे बा जमाअ़त पढ़ सकते हैं। (فتاویٰ ہندیہ، 1/55) तन्हा किसी की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो अब दूसरों को पता नहीं लगना चाहिये, क्यूं कि बिला उ़ज़्रे शर्ई जान बूझ कर नमाज़ क़ज़ा करना गुनाह है लिहाज़ा इस का इ़ज़्हार दूसरों पर न किया जाए। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/363)

सुवाल : اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! दा'वते इस्लामी के दीनी माह़ोल से वाबस्ता होने पर नमाज़ें वक़्त पर अदा करने का ज़ेह्न बनता है। पिछली क़ज़ा नमाज़ों को

जल्द अदा करने के लिये हिसाब लगाने का कोई आसान तरीक़ा बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब : क़ज़ा नमाज़ें जल्द तर अदा कर लेना वाजिब है। (درمختار، 2/646) क़ज़ा नमाज़ें तौबा से मुआफ़ नहीं होंगी, अलबत्ता अदाएगी के बा'द क़ज़ा का गुनाह तौबा से मुआफ़ हो जाएगा। अगर कोई क़ज़ा नहीं पढ़ता और वैसे तौबा किये जा रहा है तो येह तौबा नहीं है, क्यूं कि गुनाह तो अब भी उस के ज़िम्मे बाक़ी है। (درمختار، 2/627) अगर किसी ने बहुत सालों की क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब लगाना है तो वोह जब से बालिग़ हुवा उस वक़्त से हिसाब लगाए, अगर बालिग़ होने का भी नहीं पता कि कब हुवा था तो फिर हिजरी सिन के हिसाब से मर्द 12 साल की उम्र से और लड़की 9 साल की उम्र से नमाज़ों का हिसाब लगाए। लड़का 12 और 15 साल की उम्र के दरमियान बालिग़ होता है, जब कि लड़की 9 और 15 साल की उम्र के दरमियान बालिग़ा होती है। फ़क़त फ़र्ज़ रक्अतों की क़ज़ा की जाएगी और तीन वित्र भी क़ज़ा करना होंगे। यूं रोज़ाना की येह 20 रक्अतें बन जाती हैं। (फ़तावा रज़विय्या, 8/154-157 माख़ूज़न)

अवाम में येह मश्हूर है कि हर नमाज़ के साथ एक नमाज़ क़ज़ा पढ़े हालां कि ऐसा नहीं है, वाजिब येह है कि जल्दी जल्दी सारी नमाज़ें पढ़ कर अपने ज़िम्मे से उतारे। लिहाज़ा ज़रूरी कामकाज, रोज़गार, खाने पीने और सोने वग़ैरा मुआमलात जिन के बिग़ैर आदमी का गुज़ारा नहीं, के इलावा जो भी वक़्त मिले तो उस में क़ज़ा नमाज़ें पढ़े, ताकि फ़र्ज़ से सुबुकदोश हो सके। (درمختار، 2/646, बहारे शरीअत, 1/706, हिस्सा : 4)

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/363)

सुवाल : साहिबे तरतीब अपनी क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा करे ?

जवाब : अगर कोई साहिबे तरतीब है तो उस को अगली नमाज़ पढ़ने से पहले पिछली नमाज़ पढ़ना होगी। (बहारे शरीअ़त, 1/703, हिस्सा : 4 माख़ूज़न) जैसे अगर किसी की नमाज़े इ़शा क़ज़ा हो गई और उस पर छे नमाज़ों से कम नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उस पर फ़र्ज़ है कि येह फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने से पहले क़ज़ा नमाज़ें अदा कर ले, अगर येह क़ज़ा पढ़ने से पहले फ़ज्र पढ़ेगा तो फ़ज्र नहीं होगी। अलबत्ता फ़ज्र का वक़्त इतना तंग रह गया कि अगर क़ज़ा पढ़ने खड़ा होगा, वक़्त निकल जाएगा तो फ़ज्र ही पढ़े कि इस सूरत में फ़ज्र पढ़ने में कोई ह़रज नहीं, उस की फ़ज्र अदा हो जाएगी। (बहारे शरीअ़त, 1/703, हिस्सा : 4 माख़ूज़न) मगर वोह क़ज़ाएं अब भी ज़िम्मे पर बाक़ी रहेंगी। अगर किसी की छे नमाज़ों से ज़ियादा नमाज़ें क़ज़ा हैं या'नी छटी नमाज़ का वक़्त भी निकल चुका है तो येह अब साहिबे तरतीब न रहा, अब इस के लिये इजाज़त है चाहे उस वक़्त की नमाज़ पहले पढ़ ले या ज़िन्दगी की कोई क़ज़ा नमाज़ पहले पढ़ ले। (बहारे शरीअ़त, 1/705, हिस्सा : 4 माख़ूज़न) जिन पर कई नमाज़ें क़ज़ा हैं वोह Confused न हों कि हमारी कोई नमाज़ होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वोह साहिबे तरतीब नहीं हैं तो अपनी वक़्ती नमाज़ों के साथ साथ क़ज़ा भी पढ़ते रहें कि इन क़ज़ा नमाज़ों को जल्द अज़ जल्द अदा करना वाजिब है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/438)

सुवाल : जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों, क्या उस के नवाफ़िल मक़्बूल हैं ?

जवाब : जब तक किसी शख़्स के ज़िम्मे फ़र्ज़ बाक़ी रहता है, उस का कोई नफ़्ल क़बूल नहीं किया जाता, जैसा कि आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه अपनी शोह्रए आफ़ाक़ किताब "फ़तावा रज़विय्या शरीफ़" जिल्द 10 सफ़ह़ा 179 पर नक़्ल फ़रमाते हैं कि जब

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रत सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ की नज़्अ़ का वक़्त हुवा, अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ को बुला कर फ़रमाया : ऐ उ़मर (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) ! **अल्लाह** पाक से डरना और जान लो कि **अल्लाह** पाक के कुछ काम दिन में हैं कि उन्हें रात में करो तो क़बूल न फ़रमाएगा और कुछ काम रात में कि उन्हें दिन में करो तो मक़्बूल न होंगे और ख़बरदार रहो कि कोई नफ़्ल क़बूल नहीं होता जब तक फ़र्ज़ अदा न कर लिया जाए।

(حلیۃ الاولیاء، 1/71، رقم:83)

हुज़ूर ग़ौसे आ'ज़म शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ अपनी किताबे मुस्तत़ाब "फ़ुतूहुल ग़ैब" में ऐसे शख़्स की मिसाल जो फ़र्ज़ छोड़ कर नफ़्ल बजा लाए, यूं बयान फ़रमाते हैं : उस की कहावत ऐसी है जैसे किसी शख़्स को बादशाह अपनी ख़िदमत के लिये बुलाए, येह वहां तो ह़ाज़िर न हुवा और उस के ग़ुलाम की ख़िदमत गारी में मौजूद रहे। नीज़ फ़रमाते हैं : अगर फ़र्ज़ छोड़ कर सुन्नत व नफ़्ल में मश्ग़ूल होगा, येह क़बूल न होंगे और ख़्वार (ज़लील) किया जाएगा। (फ़ुतूहुल ग़ैब (मुतर्जम), स. 120)

ह़ज़रते शैख़ुश्शुयूख़ इमाम शहाबुल मिल्लति वद्दीन सोह्रवर्दी رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ "अ़वारिफ़ शरीफ़" में ह़ज़रते ख़व्वास رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ से नक़्ल फ़रमाते हैं : हमें ख़बर पहुंची कि **अल्लाह** पाक कोई नफ़्ल क़बूल नहीं फ़रमाता, यहां तक कि फ़र्ज़ अदा किया जाए। **अल्लाह** पाक ऐसे लोगों से फ़रमाता है : कहावत तुम्हारी, बद बन्दे (उस बुरे शख़्स) की मानिन्द है जो क़र्ज़ अदा करने से पहले तोह़फ़ा पेश करे। (عوارف المعارف، ص191) मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ फ़रमाते हैं : जब तक फ़र्ज़ ज़िम्मे पर बाक़ी रहता है, कोई नफ़्ल क़बूल नहीं किया जाता। (मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 126) हां ! जब

वोह बन्दा अपने ज़िम्मे बाक़ी तमाम फ़राइज़ से बरी हो जाता है तो **अल्लाह** पाक की बारगाह से उम्मीद है कि उस के नवाफ़िल भी मक़्बूल हो जाएंगे कि क़बूलिय्यते नवाफ़िल में जो चीज़ रुकावट थी, ज़ाइल हो गई। जैसा कि सरकारे आ'ला हज़रत رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه मज़ीद फ़रमाते हैं : इन सब की भी मक़्बूली की उम्मीद होगी कि जिस जुर्म के बाइस येह क़ाबिले क़बूल न थे, जब वोह ज़ाइल हो गया तो इन्हें भी बि इज़्निल्लाहि तआ़ला शरफ़े क़बूल हासिल हो गया। (फ़तावा रज़विय्या, 10/182)

एक मदनी इल्तिजा

इस लिये मदनी इल्तिजा है कि अगर आप की नमाज़ें फ़ौत हुई हैं तो नवाफ़िल की जगह भी फ़ौत शुदा नमाज़ें ही पढ़िये, ताकि जिस क़दर जल्द मुम्किन हो अपने ज़िम्मे बाक़ी फ़राइज़ से सुबुकदोश हो सकें कि क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से ज़ियादा अहम हैं। सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं या'नी जिस वक़्त नफ़्ल पढ़ता है, उन्हें छोड़ कर उन के बदले क़ज़ाएं पढ़े कि बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाए। अलबत्ता तरावीह़ और बारह रक्अ़तें (फ़ज्र की 2 सुन्नतें, ज़ोह्र की 6 सुन्नतें, मग़रिब की 2 सुन्नतें, इ़शा की 2 सुन्नतें) सुन्नते मुअक्कदा न छोड़े। (बहारे शरीअ़त, 1/706, हिस्सा : 4) ख़लीले मिल्लत हज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ान क़ादिरी बरकाती رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه इसी के तह़्त फ़रमाते हैं : और लौ लगाए रखे कि मौला अपने करमे ख़ास से क़ज़ा नमाज़ों के ज़िम्न में उन नवाफ़िल का सवाब भी अपने ख़ज़ाइने ग़ैब से अ़त़ा फ़रमा दे, जिन के अवक़ात में येह क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी गईं। وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْم

(सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 240) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/63)

सुवाल : कोई शख़्स नापाक हो और उसे याद न रहे कि वोह नापाक है और इसी ह़ालत में नमाज़ें पढ़ ले तो उन नमाज़ों का क्या हुक्म होगा ?

जवाब : नापाकी या'नी बे ग़ुस्ल होने की ह़ालत में पढ़ी गई नमाज़ें, हुई ही नहीं, उन को फिर से पढ़ना ज़रूरी है । (बहारे शरीअ़त, 1/282, ह़िस्सा : 2 माख़ूज़न) अगर वक़्त निकल चुका है तो फ़र्ज़ों की क़ज़ा करे और वित्र में ऐसा हुवा है तो उन की भी क़ज़ा करे । सुन्नत और नफ़्ल की क़ज़ा नहीं है ।

(درمختار مع ردالمحتار، 2/633 ماخوذا) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/274)

सुवाल : अगर सफ़र के दौरान क़ज़ा नमाज़ अदा करनी हो तो पूरी पढ़ेंगे या क़स्र ? नीज़ अ़स्र और फ़ज्र की क़ज़ा नमाज़ें अ़स्र और फ़ज्र की अज़ान होने से पहले पढ़ सकते हैं या अज़ान के बा'द पढ़ेंगे ?

जवाब : अगर नमाज़ सफ़र में क़ज़ा हुई थी तो चाहे सफ़र में अदा करे या ह़ज़र (मसलन अपने शह़र) में, क़स्र ही पढ़नी होगी क्यूं कि वोह नमाज़ क़स्र ही क़ज़ा हुई थी । यूं ही अगर ह़ज़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चाहे सफ़र में अदा करे या ह़ज़र में पूरी ही पढ़नी होगी । (ردالمحتار، 2/650) फ़ज्र व अ़स्र की क़ज़ा पढ़ने के लिये फ़ज्र व अ़स्र की अज़ान होना ज़रूरी नहीं है, न ही फ़ज्र व अ़स्र का वक़्त होना ज़रूरी है, बल्कि हुक्म येह है कि जितनी जल्दी हो क़ज़ा नमाज़ें अदा कर ले । (درمختار، 2/646) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/566)

सुवाल : फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो येह क़ज़ा नमाज़ दूसरे दिन नमाज़े फ़ज्र के वक़्त में पढ़ी जाए या ज़िन्दगी में कभी भी पढ़ी जा सकती है ? नीज़ क्या फ़ज्र की क़ज़ा नमाज़ के साथ साथ उस की सुन्नतें भी पढ़नी होंगी ?

जवाब : अगर फ़ज्र की सुन्नतें निकल जाएं तो उन की क़ज़ा नहीं होती और उन की क़ज़ा न पढ़ने पर गुनाह भी नहीं मिलता, क्यूं कि क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ों

की होती है। हां ! अगर फ़ज्र की क़ज़ा होने वाली सुन्नतें पढ़नी हों तो उसी दिन सूरज तुलूअ़ होने के 20 मिनट गुज़रने के बा'द इश्राक़ के वक़्त से निस्फुन्नहार तक, के दौरान पढ़ना मुस्तह़ब है। इस वक़्त के बा'द मुस्तह़ब भी नहीं है।(1) (ردالمحتار، 550/2) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/241)

सुवाल : बहुत से लोगों की क़ज़ाए उ़म्री या'नी फ़र्ज़ नमाज़ें बाक़ी होती हैं, उन लोगों को क़ज़ाए उ़म्री पढ़नी चाहिये या नमाज़े तरावीह़ को तरजीह़ देनी चाहिये ?

जवाब : अगर ज़िम्मे पर क़ज़ाए उ़म्री बाक़ी हो तो तरजीह़ इसी को ह़ासिल होगी। लेकिन इस का हरगिज़ येह मत़लब नहीं कि क़ज़ाए उ़म्री की वज्ह से नमाज़े तरावीह़ या दीगर सुनने मुअक्कदा को छोड़ दिया जाएगा। और फिर क़ज़ाए उ़म्री रमज़ान में ही अदा करना ज़रूरी नहीं है, रमज़ान के इ़लावा सारा साल क़ज़ाए उ़म्री अदा की जा सकती है। इस के लिये नमाज़े तरावीह़ छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। मुसल्मान को चाहिये वोह अपनी तमाम ज़रूरी मसरूफ़िय्यात से फ़ारिग़ हो कर अपने ज़िम्मे मौजूद क़ज़ाए उ़म्री अदा करे और इस के साथ साथ दीगर सुनने मुअक्कदा और नमाज़े तरावीह़ भी पढ़ता रहे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/241)

सुवाल : क्या ह़ामिला औ़रत अपनी क़ज़ा नमाज़ें बैठ कर पढ़ सकती है ?

जवाब : ह़ामिला के मसाइल बहुत पेचीदा हैं, सिर्फ़ ह़ामिला होने की वज्ह से बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हां अगर उस पर से

1... आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : (सुन्नते फ़ज्र) अगर मअ़ फ़र्ज़ क़ज़ा हुई हों तो ज़ह्वए कुब्रा आने तक उन की क़ज़ा है, इस के बा'द नहीं और अगर फ़र्ज़ पढ़ लिये, सुन्नतें रह गई हैं तो बा'दे बुलन्दिये आफ़्ताब इन का पढ़ लेना मुस्तह़ब है, क़ब्ले तुलूअ़ रवा (या'नी जाइज़) नहीं। (फ़तावा रज़विय्या, 8/145)

सज्दए ह़क़ीक़ी साक़ित़ हो गया तो इस से क़ियाम भी साक़ित़ हो जाएगा। (درمختار مع ردالمحتار، 2/164) अब उसे बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होगी। फिर इसी ह़ालत में वोह अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी अगर बैठ कर पढ़ेगी तो वोह भी अदा हो जाएंगी।[1] (درمختار، 2/650) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/382)

सुवाल : देहली काफ़ी बड़ा शह्र है, इस में एक कोने से दूसरे कोने की त़रफ़ जाने में एक डेढ़ घन्टा लग जाता है, कभी किसी जगह पहुंचने की जल्दी होती है तो नमाज़े ज़ोह्र क़ज़ा हो जाती है। क्या इस त़रह़ के सफ़र की वज्ह से ज़ोह्र की नमाज़ में क़स्र कर सकते हैं ?

जवाब : क़स्र नमाज़ पढ़ने के लिये शर्ई सफ़र होना ज़रूरी है[2] और एक शह्र में आना जाना शर्ई सफ़र नहीं कहलाता। लिहाज़ा इस में पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। हां ! अगर कोई किसी शह्र में मुसाफ़िर है और 15 दिन से कम दिन वहां रहेगा तो वोह शर्ई मुसाफ़िर होगा। अब वोह नमाज़ में क़स्र कर सकता है। लेकिन देहली में ही मुक़ीम है और यहां रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है तो येह शर्ई मुसाफ़िर नहीं है, लिहाज़ा क़स्र नमाज़ नहीं पढ़ सकता। साइल ने ज़ोह्र की नमाज़ के बारे में कहा, तो अ़र्ज़ है कि ज़ोह्र की नमाज़ के वक़्त में गुन्जाइश ज़ियादा होती है। अगर सफ़र में घन्टा डेढ़ बल्कि दो तीन घन्टे भी लगते हैं फिर भी इतना वक़्त होता है कि ज़ोह्र की नमाज़ पढ़ ले, नमाज़ क़ज़ा होना मुश्किल है। हां ! अगर सफ़र के लिये बस में ही साढ़े चार बजे बैठा और ज़ोह्र का वक़्त पांच बजे ख़त्म

1... मज़ीद तफ़्सील जानने के लिये "कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम" रिसाले का मुत़ालआ़ कीजिये।

2... शर्अ़न मुसाफ़िर वोह शख़्स है जो तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुवा। (बहारे शरीअ़त, 1/740, ह़िस्सा : 4)

हो रहा है तो ज़ाहिर है अब ज़ोह्र क़ज़ा हो जाएगी। लिहाज़ा उसे चाहिये कि पहले ज़ोह्र की नमाज़ पढ़े फिर इस के बा'द सफ़र शुरूअ़ करे। जब भी सफ़र करना हो तो इस के लिये वोह वक़्त मुन्तख़ब करें जिस में कोई नमाज़ न आए। अलबत्ता ट्रेन में नमाज़ का वक़्त आ जाए तो ट्रेन में भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस के अलग मसाइल हैं।[1] याद रखिये! नमाज़ फ़र्ज़ है इसे छोड़ नहीं सकते। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/286)

सुवाल : बा'ज़ लोग अ़स्र व मग़रिब का थोड़ा वक़्त गुज़रने पर अ़स्र व मग़रिब की नमाज़ को क़ज़ा समझते हैं, अगर कोई उन्हें समझाए कि अभी नमाज़ का वक़्त बाक़ी है तो मानते नहीं, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए?

जवाब : इल्म की कमी है। ख़ास तौ़र पर मग़रिब में थोड़ी देर हो जाए तो लोग इस त़रह़ बोलते हैं कि अब मग़रिब की नमाज़ का वक़्त निकल गया, ह़ालां कि मुल्क में मग़रिब की नमाज़ का वक़्त कम अज़ कम एक घन्टा अठ्ठारह मिनट होता है। अगर्चे बिला उ़ज़्र मग़रिब की नमाज़ में इतनी ताख़ीर करना कि सितारे क़रीब क़रीब आ जाएं मक्रूह है (फ़तावा रज़विय्या, 5/153) और बिग़ैर शर्ई उ़ज़्र के इतनी ताख़ीर करने वाला गुनाहगार होगा। (बहारे शरीअ़त, 1/453, ह़िस्सा : 3) लेकिन नमाज़ क़ज़ा नहीं होती क्यूं कि अब भी नमाज़ का वक़्त बाक़ी है, अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो अदा ही होगी। नमाज़ों के अवक़ात का नक़्शा दा'वते इस्लामी की वेबसाइट पर भी मौजूद है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/424)

1... आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : ठहरी हुई रेल में सब नमाज़ें जाइज़ हैं और चलती हुई में सुन्नते सुब्ह़ (या'नी फ़ज्र की सुन्नतों) के सिवा सब सुन्नत व नफ़्ल जाइज़ हैं मगर फ़र्ज़ व वित्र या सुब्ह़ की सुन्नतें नहीं हो सकतीं। एहतिमाम करे कि ठहरी (हुई रेल) में पढ़े और अगर देखे कि वक़्त जाता है (तो) पढ़ ले और जब (रेल) ठहरे फिर फेरे (या'नी उन नमाज़ों को दोहरा ले)। (फ़तावा रज़विय्या, 5/113)

सुवाल : रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर मिलता है, अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में क़ज़ा उ़म्री करता है तो क्या एक नमाज़ क़ज़ा पढ़ने से 70 क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी ?

जवाब : नहीं। एक क़ज़ा नमाज़ अदा करेंगे तो एक ही क़ज़ा नमाज़ अदा होगी। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/166)

सुवाल : क्या क़ज़ा नमाज़ बैठ कर पढ़ सकते हैं ? नीज़ क़ज़ा नमाज़ में एक ही सूरत की तक्रार करना कैसा ?

जवाब : क़ज़ा नमाज़ भी खड़े हो कर उसी त़रह़ पढ़नी है जिस त़रह़ अदा नमाज़ पढ़ते हैं। क्यूं कि क़ज़ा में फ़र्ज़ और वाजिब रक्अ़तें होती हैं, जिन में क़ियाम फ़र्ज़ होता है। (حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی الفلاح، ص353 ماخوذا) अगर किसी को एक ही सूरत याद है और उस के इ़लावा कोई सूरत याद नहीं तो हर रक्अ़त में एक ही सूरत पढ़ता रहे, वरना हर रक्अ़त में बदल बदल कर पढ़े, क्यूं कि बिला मजबूरी फ़र्ज़ की रक्अ़तों में एक ही सूरत की तक्रार मक्रूहे तन्ज़ीही है।

सुवाल : अगर दौराने ए'तिकाफ़ किसी की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या उस का ए'तिकाफ़ टूट जाएगा ?

जवाब : नमाज़ छोड़ी तो वाक़ेई सख़्त से सख़्त गुनाह किया। अलबत्ता इस से ए'तीकाफ़ नहीं टूटेगा। हां ! अगर किसी ने दस दिन वाले सुन्नत ए'तिकाफ़ में रोज़ा तोड़ा या किसी वज्ह से रोज़ा टूटा या बीमारी की वज्ह से रोज़ा तोड़ना या छोड़ना पड़ गया तो ए'तिकाफ़ टूट जाएगा।

(फ़ैज़ाने रमज़ान, स. 268)

सुवाल : फ़ौत शुदा की क़ज़ा नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदया अदा करने का त़रीक़ा बयान फ़रमा दीजिये ।

जवाब : फ़ौत शुदा ने जितनी नमाज़ें क़ज़ा की हैं उन का हिसाब लगाया जाए, अब अगर उ़म्र भर नमाज़ें नहीं पढ़ीं तो जब से बालिग़ हुवा उस वक़्त से हिसाब लगाया जाए। येह भी मा'लूम न हो कि कब बालिग़ हुवा था तो मर्द का 12 साल और औ़रत का 9 साल की उ़म्र से हिसाब लगाया जाए। येह हिसाब हिजरी सिन के ए'तिबार से लगाना होगा न कि ईसवी सिन से क्यूं कि दोनों में फ़र्क़ है। इस्लामी मुआ़मलात सारे के सारे हिजरी सिन के हिसाब से होते हैं। बद क़िस्मती से मुसल्मानों का सिने हिजरी की त़रफ़ ध्यान ही नहीं। हिजरी सिन को फ़ारूक़ी साल भी कहा जाता है, क्यूं कि अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ने हिजरी सिन को बा क़ाइ़दा जारी फ़रमाया था। (تہذیب الاسماء واللغات، 1/47) अगर इसे इस्लामी साल बोलें तो भी दुरुस्त है।

बहर ह़ाल फ़ौत शुदा की उ़म्र से इस त़रह़ क़ज़ा नमाज़ों और रोज़ों का हिसाब लगाया जाए। हिसाब लगाने के बा'द मसलन एक हज़ार (1000) दिन की क़ज़ा नमाज़ें बनती हैं, अब रोज़ की यूं तो पांच नमाज़ें हैं मगर वित्र का भी फ़िदया देना होगा तो यूं एक दिन के छे फ़िदये बनेंगे। इसी त़रह़ मसलन एक हज़ार (1000) दिन के रोज़े भी क़ज़ा बनते हों तो हर रोज़े का भी एक फ़िदया देना होगा। तो यूं हज़ार (1000) दिन की क़ज़ा नमाज़ों और रोज़ों के सात हज़ार (7000) फ़िदये बन जाएंगे। अब एक फ़िदये की मिक़्दार एक सदक़ए फ़ित्र है जो हम रमज़ानुल मुबारक में देते हैं मसलन

इस साल (1439 हि. ब मुताबिक़ 2018 को) एक सदक़ए फ़ित्र की क़ीमत गेहूं (या'नी गन्दुम) के हिसाब से 100 रुपै थी, जब कि खजूर और किशमिश के हिसाब से ज़ियादा बनती है। अब अगर गेहूं (या'नी गन्दुम) की रक़म के हिसाब से मिस्कीन को सात हज़ार (7000) फ़िदयों की क़ीमत देंगे तो येह सात लाख (700000) बनेगी। अब अगर इतनी रक़म पास नहीं तो इस में ह़ीले की भी गुन्जाइश है, मसलन इस के पास एक हज़ार (1000) फ़िदये की रक़म है, वोह रक़म फ़िदये के त़ौर पर किसी शर्ई फ़क़ीर को दे, शर्ई फ़क़ीर उस रक़म पर क़ब्ज़ा करने के बा'द तोह़फ़े के त़ौर पर येह रक़म इसे वापस लौटा दे और येह क़ब्ज़ा करने के बा'द फिर उस शर्ई फ़क़ीर को फ़िदये में येह रक़म दे तो इस त़रह़ सात बार करने से सात हज़ार (7000) फ़िदयों की अदाएगी हो जाएगी। सारी उ़म्र के रोज़ों का हिसाब लगाने में जिस जिस रमज़ान के 29 दिन का होना यक़ीनी मा'लूम हो तो उसे 29 शुमार किया जाए। मज़ीद तफ़्सीलात जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की शाएअ़ कर्दा किताब "नमाज़ के अह़काम" में मौजूद रिसाले "क़ज़ा नमाज़ों का त़रीक़ा" का मुत़ालआ़ कीजिये, येह रिसाला मक्तबतुल मदीना से अलग से भी मिल सकता है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/247)

सुवाल : सूरज निकलने से फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, अगर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते पढ़ते रोशनी हो जाए तो क्या नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब : सूरज की पहली किरन चमक्ने से पहले पहले फ़ज्र की नमाज़ का सलाम फेरना ज़रूरी है, क्यूं कि फ़ज्र का वक़्त तुलूए़ सुब्ह़े सादिक़ से आफ़्ताब की किरन चमक्ने तक है।" (बहारे शरीअ़त, 1/447) लिहाज़ा अगर

फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते पढ़ते सूरज की पहली किरन चमक गई तो अब नमाज़ नहीं होगी वरना हो जाएगी, क्यूं कि रोशनी तो सुब्हे सादिक़ के वक़्त से ही होना शुरूअ़ हो जाती है और फिर येह बढ़ती जाती है यहां तक कि सूरज निकल आता है। बा'ज़ अवक़ात मौसिम अब्र आलूद होता है और सूरज नज़र ही नहीं आता। बल्कि सुना है कि यू.के (U.K) वग़ैरा में तो सूरज बहुत कम नज़र आता है तो ऐसे मौक़ए पर अपने अपने शहरों या मुल्कों के "नक़्शा बराए अवक़ाते नमाज़" के मुताबिक़ नमाज़ अदा की जाए।[1]

(माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, मई 2017 ई., स. 8)

सुवाल : अगर किसी शख़्स पर जिन्नात के असरात हों और वोह ज़ियादा वक़्त बेहोश रहता हो तो क्या उस पर क़ज़ा नमाज़ पढ़नी वाजिब है ?

जवाब : बहारे शरीअ़त में है : जुनून या बेहोशी अगर पूरे छे वक़्त को घेर ले, चाहे वोह जिन्न की वज्ह से हो या बीमारी की वज्ह से तो उन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं, अगर्चे बेहोशी आदमी या दरिन्दे के ख़ौफ़ से हो और इस से कम हो तो क़ज़ा वाजिब है। (درمختار، 2/692، ماخوذا, बहारे शरीअ़त, 1/72, हिस्सा : 4 माख़ूज़न) या'नी चाहे किसी बन्दे ने डरा दिया या जानवर का ख़ौफ़ लग गया या सांप नज़र आ गया और येह बेहोश हो गया अल ग़रज़ किसी भी वज्ह से बेहोश हुवा और इसी हालत में छे फ़र्ज़ नमाज़ों का वक़्त निकल गया तो येह नमाज़ें मुआ़फ़ होंगी। अलबत्ता पांच फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हुई थीं और छटी का वक़्त गुज़रने से पहले होश आ गया तो उन फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़ना होगा।

1... दा'वते इस्लामी की मजलिसे तौक़ीत ने मुल्क के मुख़्तलिफ़ शहरों के अवक़ाते नमाज़ के नक़्शे जारी किये हैं, जो मक्तबतुल मदीना से हदिय्यतन हासिल किये जा सकते हैं।

जुनून और बेहोशी में फ़र्क़

जुनून और बेहोशी में फ़र्क़ है, जिस पर जुनून त़ारी हो वोह ब ज़ाहिर होश में लगता है, लेकिन ह़क़ीक़तन उसे होश नहीं होता। बा'ज़ अवक़ात ऐसा शख़्स ख़्वाह म ख़्वाह गालियां देता, पथ्थर मारता, ओल फ़ोल बकता रहता है और उस को अपने कपड़ों तक की कोई ख़बर नहीं होती, ऐसे को लोग पागल बोलते हैं। जब कि वोह शख़्स जिस पर बेहोशी त़ारी हो, वोह तो जाग ही नहीं रहा होता, बेहोश पड़ा होता है। ऊपर जो हुक्म बयान किया गया, वोह इन दोनों के लिये ही है या'नी वोह शख़्स जिस पर जुनून त़ारी हो और वोह जो बेहोश हो। (इस मौक़अ़ पर मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) जिन्नात भी बन्दे पर जुनून त़ारी कर देते हैं, जिस की वज्ह से येह ऊट पटांग ह़रकतें करता है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 8/339)

नोट : सफ़ह़ा 4 पर मौजूद सुवाल शो'बा हफ़्तावार रिसाले ने क़ाइम किया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का ही अ़त़ा फ़रमूदा है।

जुमुअ़तुल वदाअ़ के दिन क़ज़ा नमाज़ के बारे में ग़लत़ फ़हमी

बा'ज़ लोग रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी जुमुआ़ में बा जमाअ़त क़ज़ाए उ़म्री पढ़ते हैं और येह समझते हैं कि उ़म्र भर की क़ज़ाएं इसी एक नमाज़ से अदा हो गईं, इस बारे में आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं : फ़ौत शुदा नमाज़ों के कफ़्फ़ारे के त़ौर पर येह जो त़रीक़ा (क़ज़ाए उ़म्री) ईजाद कर लिया गया है येह बद तरीन बिद्अ़त है, इस बारे में जो रिवायत है वोह मौज़ूअ़ (घड़ी हुई) है, येह अ़मल सख़्त मम्नूअ़ है। (फ़तावा रज़विय्या, 8/25)

फ़रमाने अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ

बच्चों में येह फ़ित्री (या'नी कुदरती, Natural) बात होती है कि वोह बड़ों की नक्क़ाली (या'नी उन्हें Copy) करते हैं, अगर घर में नमाज़ों का माहोल होगा तो बच्चे भी नमाज़ों की नक्क़ाली करेंगे और अगर (معاذ الله) गाने बाजे या डान्स का माहोल होगा तो बच्चे भी डान्स करेंगे।

(अमीरे अहले सुन्नत के 126 इर्शादात, स. 6)